

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : चि.प्र./निरीक्षक/2024/27

दिनांक : 05.02.2024

—: आदेश :—

निदेशालय के आदेश क्रमांक वि.भा.सं.या/2023/671 दिनांक 16.12.2023 के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा (VBSY) की मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तर से जिला प्रभारी मनोनीत किये गये थे। वर्तमान में सरकार द्वारा 100 दिवसीय कार्ययोजना एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों की सधन मॉनिटरिंग की जा रही है।

अतः विकसित भारत संकल्प यात्रा (VBSY) के जिला प्रभारी अधिकारियों को 100 दिवसीय कार्ययोजना एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिए निर्देशों हेतु भी जिलों के प्रभारी अधिकारी मनोनीत किया जाता है। जिला प्रभारी उन्हें आवंटित जिलों से समन्वय स्थापित कर विभागीय 100 दिवसीय कार्ययोजना एवं पालना की मॉनिटरिंग कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगे।

नोट :- निदेशालय के आदेश क्रमांक वि.भा.सं.या/2023/671 दिनांक 16.12.2023 की निरन्तरता में डॉ. पुरुषोत्तम सोनी के अवकाश पर होने के कारण उनके स्थान पर डॉ. विजयलक्ष्मी गोदारा, राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी को जिला अधिकारी प्रभारी, वित्तौडगढ़ लगाया जाता है।

संलग्न :- 100 दिवसीय कार्ययोजना एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गये निर्देश।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(A)

(डॉ. रवि प्रकाश माधुर)

निदेशक (जन स्वा०)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज० जयपुर

दिनांक : 05.02.2024

क्रमांक : चि.प्र./निरीक्षक/2024/27

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिरिका० स्वा० एवं प० क० विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनएचएम), मुख्यालय।
- निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (RSHAA)
- निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक (RMSCL)
- निजी सहायक, आयुक्त, खाद्य एवं औषधि नियन्त्रक, मुख्यालय।
- निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा०/आरसीएच/एड्स), मुख्यालय।
- संबंधित अधिकारियों को पालनार्थ।
- संयुक्त निदेशक, समर्त जोन, राजस्थान।
- समर्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
- समर्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय साईट पर अपलोड करावे।
- रक्षित पत्रावली।

(B)

निदेशक (जन स्वा०)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज० जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर राजस्थान

प्रमाणित नाम संख्या/2023/ 671

मिति 16.12.2023

आदेश

विकासित भारत सरकार यात्रा (VBSY) का प्रारम्भ दिनांक 17.12.2023 से राजस्थान में किया जा रहा है। इस द्वेष्टु निम्न अधिकारियों को निम्नानुसार जिला प्रभारी मनोनित किया जाता है:

क्र.सं.	जिला	जिला अधिकारी प्रभारी	पद नाम	मोबाइल नम्बर
1.	अजमेर	डॉ. देवेश्वर देव	एसएनओ, एनयूएचएम	9413902460
2.	त्यावर			
3.	दीकानर	श्री राजाराम शर्मा	ओषधी नियन्त्रक	9829401014
4.	पाली	डॉ. अमित शर्मा	आरएसएचए	9636465888
5.	बासवाडा	डॉ. अनुराग शर्मा	आरएसएचए	9549815454
6.	भरतपुर	डॉ. राजेश शर्मा	जेडी, एचए, मु	9460525632
7.	डीग			
8.	कोटा	श्री अजय पाठक	ओषधी नियन्त्रक	9414355650
9.	जयपुर ग्रामीण	डॉ. प्रवीण असवाल	एसएनओ, आईडीएसपी	9549896666
10.	दुर्दु			
11.	जयपुर शहर	डॉ. नरोत्तम शर्मा	उपनिदेशक योजना	9828321638
12.	कोटपुतली बहराड़			
13.	जालापुर	डॉ. कविता यात्रा	जेडी, एनजी	
14.	जालापुर ग्रामीण			
15.	फलोटी			
16.	तोक	डॉ. रमेश यात्रा	एसएनओ, एमएनडीवाइ	8005802585
17.	कंकड़ी			
18.	हुगुमानगढ़	डॉ. मुकेश डीयुवाल	पीडी, आरबीएसके	9928084789
19.	श्रीगगानगर	डॉ. दिनेश पांडेक	सीएमआईएस	9829240274
20.	अनुपगढ़			
21.	उदयपुर	डॉ. राहित शीना	आरएसएसीएल	9413343519
22.	ललम्बर			
23.	सोनर	डॉ. अजय चौधरी	जेडी, जयपुर	9414053000
24.	नीम का थाना			
25.	नागार	डॉ. राजेश जादू	आरएसएचए	9829090060
26.	झीड़वाना-कुचामन			
27.	जालोर	डॉ. वरुण चंदोलिया	आरएसएचए	9460985797
28.	धौलपुर	डॉ. शकर लाल गुप्ता	एसएनओ, एचआर	9829198975
29.	वारा	डॉ. संजय सक्सेना	जेडी, एनजी	

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5191664



Digitally signed by Jitendra Kumar Soni

Designation : Mission Director

Date: 2023.12.15 20:00:17 IST

Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव गहोदय, ग्रामीण विकास एवं पचायति राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, RSHAA।
4. निजी सचिव, गिशन निदेशक (एनएचएम) चिकित्सा एवं रवारथ्य विभाग, जयपुर।
5. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएगएसरीएल, जयपुर।
6. निजी सहायक, आयुक्त खाद्य एवं औषधी नियंत्रक, मुख्यालय।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा./आरसीएच/एडस), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर।
9. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10. संबंधित अधिकारियों को पालनार्थ।
11. स्टोर अधिकारी प्रभारी, एनएचएम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जिन अधिकारियों को वाहन आवंटित नहीं है उनको जिले में ग्रमण के समय वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. सामरता संयुक्त निदेशक, जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, राजस्थान।
13. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान को प्रेपित कर लेख है कि राज्य स्तरीय प्रभारियों हेतु ठहरने व खान-पान की व्यवस्था एवं राजकीय आवंटित वाहन उपयोग नहीं करने की स्थिति में जिला ग्रमण हेतु वाहन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावे।
14. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए सबधित को मेल कराना सुनिश्चित करावे।
15. रक्षित पत्रावली।

मिशन निदेशक (एनएचएम)
जयपुर

Signature Not Verified

RajKai Ref
5191664

Digitally signed by Jitendra Kumar
Soni
Designation : Mission Director
Date: 2023.12.15 20:00:17 IST
Reason: Approved

क्र.सं.	जिला	जिला अधिकारी प्रमाणी	पद नाम	मोबाइल नम्बर
30.	सिरोही	डॉ. एम.एल सालोदिया	उपनिदेशक, प.क	9414926539
31.	राचोर			
32.	वूदी	डॉ. उगेश खन्ना,	एसएनओ, आईडीडी	9588021174
33.	प्रतापगढ़	डॉ. महेन्द्र शर्मा	एसएनओ, एनएमएचपी	9530004918
34.	दौसा	डॉ. सुगाप खोलिया	जे.डी. (वीवीआईपी)	9588871038
35.	अलयर	डॉ. यदुराज	डिप्टी, जोन जयपुर	9887232090
36.	खैरथल -तिजारा			
37.	वाडमेर	डॉ. सुआ लाल	एसएनओ, आईएचपी	9413527825
38.	वालोतरा			
39.	जैसलमेर	डॉ. प्रदीप चौधरी	पी.डी. (सीएच)	9782602882
40.	राजसमंद	डॉ. तरुण चौधरी,	पीडी एमएच	7733000888
41.	चितोडगढ़	डॉ. पुरुषोत्तम रोनी,	एनटीईपी	9414356320
42.	झुगरपुर	डॉ. केसरी सिंह,	एसएनओ, एमएनजेवाई	9461208121
43.	झुन्झुनू	डॉ. एस. एन. धौलपुरिया	जेरसी- फूड एण्ड ड्रग्स	9414083474
44.	भीलवाडा	डॉ. रघुराज सिंह,	पीडी-टीकाकरण	9460963372
45.	शाहपुरा			
46.	करोली	डॉ. विरेन्द्र रिह	उपनिदेशक, एनजी	
47.	सावाईमाधोपुर	डॉ. सुनील सिंह,	एसएनओ (एनपीसीवी)	9571771225
48.	गगापुर सिटी			
49.	झालायाड	डॉ. अभिनव अग्रवाल	एसएनओ, एमएच	9680563287
50.	घुरु	डॉ. देवेन्द्र सोधी	एसएनओ, टीकाकरण	9413369038

उक्त जिला प्रभारी अधिकारियों द्वारा जिलों से प्रतिदिन समन्वय स्थापित कर VBSY के संबंध में की जाने वाली गतिविधियां निम्नानुसार हैं:-

- विभागीय परिपत्र क्रमांक 1443 दिनांक 07.12.2023 में जारी दिशानिर्देश के अनुसार VBSY से संबंधित जिले के मास्टर प्लान से मुख्यालय को अवगत कराना।
- कैम्प का रट चार्ट, डे-नोडल ऑफिसर की सूचना ली जाए तथा कैम्प के उपरान्त डे-नोडल ऑफिसर से सम्पर्क कर कैम्प में की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में फिडबैक लिया जाए तथा उनकी सूचना VBSY पोर्टल एवं कार्यक्रमों के संबंधित पोर्टल पर इन्द्राज करवाना सुनिश्चित करावे।
- राज्य स्तर से निर्देश के उपरान्त संबंधित जिलों में उक्त कैम्प की क्रियान्विति की भ्रमण किया जाए।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

मिशन निदेशक (एनएचएम)

जयपुर

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5191664

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Mission Director
Date: 2023.12.15 20:00:17 IST
Reason: Approved

100 दिवसीय कार्य योजना

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

गतिविधि निवरण	नोडल अधिकारी	वर्तमान स्थिति
<p>1. सभी जिला चिकित्सालयों में कार्यरत एवं स्थापित की जाने वाली वृद्धवस्था विशेषज्ञ इकाईयां स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हो तथा वृद्धजनों को उनकी आवश्यकतानुसार उपचार की उपलब्धता हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • वृद्धवस्था विशेषज्ञ इकाईयों अलग से स्थापित की जायें अथवा चर्टमाल वार्डों में ही इस हेतु अलग से राधान/शेया निर्धारित किये जायें। • इन इकाईयों में वृद्धजनों के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध हो तथा आवश्यक साधिधारे उनके अवसार सुगम हो, यह सुनिश्चित किया जाये। • इन इकाईयों हेतु नोडल अधिकारी/स्टॉफ नियुक्त किये जायें, जिनके द्वारा नियमित रूप से वृद्ध शेयियों की देखभाल की जाये। <p>2. मानसिक स्वास्थ्य की बढ़ती समस्या को देखते हुए युवाओं व अन्य लक्षित समूहों के लिए काउंसलिंग/हेल्पलाईन सर्विस को सुदृढ़ किया जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Dir. (PH) • SNO (NPHCE) 	
<p>3. मानसिक शेयियों की देखभाल प्रभावी, सेवाभाव से एवं पूर्ण सर्वेदनशीलता से हो तथा इसमें अच्छा काम करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► MD(NHM) ► CME ► Dir(PH) • SNO-NMHP 	<ul style="list-style-type: none"> • Dir(PH) will review
<p>4. विभाग की 100 दिन की कार्य-योजना में "State Medical Health Council" के गठन का कार्य समिति किया जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Dir(PH) • SNO-NMHP 	<ul style="list-style-type: none"> • Put up the file

		► Dir(PH)	• Put up the file
5. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न चिकित्सालयों में डायलिसिस मशीनें स्थापित किये जाने के कार्य में निजी सरकारी भागीदारी (पीपीपी) मोड का उपयोग किया जाये।	• SNO-Dialysis		
6. राष्ट्रीय राजकीय चिकित्सालयों में साफ-सफाई एवं स्वच्छता उन्नीश्वरत की जाने तथा इसकी सूखना प्रौद्योगिकी तकनीकों/Artificial Intelligence के माध्यम से सतत नियंत्रणी की जाये।	► Dir(PH) • ADHA • SNO-QA	• आधारप्रदेश से मॉडल मांगवाना है। • डी.जी.एच.एस को लैटर लिखना है। • आर.एन.टी. मैडिकल कॉलेज मॉडल लागु करें।	
7. समर्त जिला कलटर्स द्वारा जिले के मुख्य चिकित्सालय/चिकित्सालयों का सप्ताह में 1 बार औचक अधिकारियों द्वारा भी राजकीय चिकित्सालयों का सप्ताह में 1 बार औचक नियंत्रण किया जाये। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियंत्रण हेतु 1 घैकलिस्ट बनाकर अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाये।	► CME ► Dir(PH) • ADHA	► Dir(PH) • AD Gazzeted	• आज आदेश जारी करना है। • संयुक्त निदेशक स्तर पर रिपोर्ट का संकलन करना है।
8. जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा नियमित नियंत्रण किया जावे एवं नियंत्रण प्रतिवेदन निदेशालय को प्रेषित किया जाये।	► MD(NHM) • PD HWC • SNO NCD	► MD(NHM) • PD HWC • ADHA	► MD(NHM) • PD HWC
9. विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले स्वास्थ्य नेलों में उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क दवा एवं जांच का प्रधान-प्रधार किया जाये तथा नेलों के दौरान गंभीर बीमारियों से ग्रस्त गोपियों को उच्च संस्थानों में रेफर किया जाता है, तो उनके उपचार का फॉलोअप किया जाये।	► CME ► Dir(PH) • ADHA	► CME ► Dir(PH) • ADHA	► CME • आज आदेश जारी करना है। • नियंत्रण करना है।
10. नियंत्रण भारत संकल्प चाचा के दौरान गोपियों की जो जावे जहाँ होती है, उनकी जावे उच्चतर चिकित्सा संस्थानों में किये जाने की व्यवस्था की जाये।	► MD(NHM) • PD HWC	► MD(NHM) • PD HWC	► MD(NHM) • ADHA
11. शहरी आयुर्ज्ञान आरोग्य मंत्रिर हेतु वर्तमान में स्थीरकृत कार्मिकों की संख्या की समीक्षा कर इन्हें कार्यभार के अनुसार पुनः नियंत्रित करें।	► MD(NHM) • PD HWC	► MD(NHM) • ADHA	• आज फाईल एम.डी. एन एच एम द्वारा भेजी जायेगी।

<p>12. सदाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र कोला जाये। नये प्रारंभ किए जाने वाले प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों का शुभारंभ जन प्रतिजेहियों से कराया जाये तथा इनका पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाये। सभी जन औषधि केन्द्रों पर उपलब्ध प्रमुख दवाईयों की सूची व उनके समक्ष इन दवाईयों के बाजार भाव व जन औषधि केन्द्रों की दरों का तुलनात्मक विवरण अंकित कर प्रदर्शित किया जाये।</p>	<p>► CFS • DC Drug controller</p> <ul style="list-style-type: none"> • अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
<p>13. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने एवं निवारण हेतु हेल्पलाईन (18) की व्यवस्था की जाये।</p>	<p>► CFS • Drug controller</p> <ul style="list-style-type: none"> • अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। • IEC plan प्रस्तुत करें।
<p>14. नशीली दवाईयों की आपूर्ति एवं बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाये। औषधि निरीक्षक इसका नियमित रूप से निरीक्षण करें। दोषी विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये।</p>	<p>► CFS • Drug controller</p> <ul style="list-style-type: none"> • अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। • Action plan प्रस्तुत करें।
<p>15. राज्य के बीकानेर, हुजूराबाद एवं जगनगर जिले में अवैध नशीली दवाईयों की बिक्री रोकने के लिए सघन निगरानी युक्तिपूर्ण की जाये। राज्य स्तर से भी दल भेजकर औचक निरीक्षण कराया जाए।</p> <p>16. नशा मुक्ति के लिए चिकित्सा, सामाजिक च्याय एवं अधिकारिता, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन विषय विशेषज्ञों का सहयोग लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। राज्य में आवश्यकताजुझार नशा मुक्ति/परामर्श केन्द्र भी संचालित किये जायें।</p> <p>17. खुले में बिकने वाली च्याय सामग्रियों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का ध्यान रखने हेतु लोगों को जागरूक किया जाये।</p> <p>18. विभिन्न चिकित्सालयों में स्थापित मेडिकल ऑफर्सिजन लांटस एवं इनसे ऑफर्सिजन आपूर्ति की वारस्तिकता की जांच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।</p>	<p>► CFS • SNO NMHP</p> <ul style="list-style-type: none"> • समाज कल्याण, सामाजिक च्याय एवं अधिकारिता एवं पुलिस विभाग के साथ दिनांक 04.02.2024 को साथ 04 बजे बैठक का आयोजन किया जाना है। <p>► CFS • Dir(PH) • ADHA • SNO IM</p> <ul style="list-style-type: none"> • दिनांक 25.01.2024 को दोपहर 12 बजे बैठक का आयोजन RMCL/JDA/LSG के साथ किया जाना है।

19. १०० दिन की कार्य-योजना में प्रस्तावित निमिज्जन तारह के उपकरणों/अधीनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध रूप से चिकित्सा संस्थानों को आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए इन मशीनों/उपकरणों के संचालन हेतु प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध हो।	► MD(NHM) ► MD RMSCL ► CME ► Dir PH	• MD(NHM) एवं MD (RMSCL) द्वारा चैकलिस्ट तैयार की जानी है। • Dir PH द्वारा फॉर्मट सर्कुलेट, equipment स्टेट्स एवं functional report तैयार कर भेजना है।		
20. १०० दिन की कार्य-योजना में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों को आपूर्ति किये जाने वाले नवीन फोम मैट्रेस की प्रस्तावित संख्या को १३,००० से बढ़ाकर २०,००० की जाए।	► MD RMSCL ► Dir PH			
21. याजकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध विभिन्न जांच मशीनों के खराब हो जाने के कारणों एवं इनके टीक होने में लगाते वाले समय की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।	► MD RMSCL ► ADHA • SNO IM	• ई. उपकरण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।		
22. जिन चिकित्सालयों/क्लिंज में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध नहीं हैं, उन जगहों पर उत्तर-प्रदेश की तर्ज पर गर्भवती महिलाओं की जांच एक निश्चित राशि के वात्चर के माध्यम से करने हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किये जाए।	► Dir PH ► Dir RCH • PD MNJY	• Need Assessment करना है। • SOP बनानी है। • ACS(Finance) को यूओ नोट भेजना है।		
23. सभी जिला कलवटर्स से ब्लड डोनेशन कैप आयोजित करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं की सूची प्राप्त की जाए तथा इन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश में आयोगाधिक ब्लड डोनेशन कैप आयोजित किये जाए।	► CME ► Dir PH ► Dir AIDS	• सभी जिला कलवटर को पत्राचार करना है। • मास्टर कॉपी तैयार करनी है।		
24. सभी स्टेटिक रहस्यालयों में उपलब्ध कराया जाने का कार्य विभाग की १०० दिन की कार्य-योजना में सम्मिलित किया जाए।	► Dir PH ► Dir AIDS • SNO Blood cell			

<p>25. ग्रामीण बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत बच्चों की स्कॉलिंग का कार्य प्रायोगिकता से पूर्ण किया जाए।</p>	<p>► MD NHM • PD RBSK</p>
<p>26. 100 दिन की कार्य-योजना में चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर रोगियों की पहचान/स्कॉलिंग के लक्षणों के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिरों द्वारा की जाने वाली स्कॉलिंग की संख्या को भी जोड़ा जाए।</p>	<p>► MD NHM ► CME ► Dir PH • SNO NCD</p>
<p>27. चल चिकित्सा इकाईयों द्वारा प्रत्येक माह में 1 या 2 बार प्रत्येक पंचांग पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने की स्थाई व्यवस्था किये जाने के लिये विभाग कार्य-योजना तैयार कर एवं आवश्यक संसाधनों का आंकलन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करे।</p>	<p>► AMD NHM ► Dir PH • SNO IAP • Day wise program तैयार करना है। • IEC करवानी है। • जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित करना है।</p>
<p>28. राजकोस अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राचार्यों जी नियुक्तियां शीघ्र की जाए तथा चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को अविलंब प्रारंभ कर समर्यबद्ध रूप से पूर्ण करे।</p>	<p>► CME</p>

100 दिवसीय कार्य योजना

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्र. सं.	गतिविधि विवरण	नोडल अधिकारी	वर्तमान स्थिति
1	वर्तमान में 21 जिला चिकित्सालयों में कार्यस्त वृद्धिवस्था विशेषज्ञ इकाई की तर्ज पर शेष 28 जिला चिकित्सालयों में भी जिरियादिक वार्ड प्रारम्भ कर सेवाएं दी जाएगी।		
2	वर्तमान में मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक की सुविधा 27 जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध है। शेष 22 जिला चिकित्सालयों में भी उक्त सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी।		
3	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (वन डिस्ट्रिक्ट— वन डायलिसिस केन्द्र) के अंतर्गत वर्तमान में 34 जिलों में उपलब्ध डायलिसिस सुविधा की तर्ज पर शेष 16 जिलों में उक्त सुविधा उपलब्ध करवाइ जाएगी।		
4	आयुष्मान भव के तहत समस्त क्रियाशील आयुष्मान आरोग्य मन्दिर (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र) में प्रत्येक शनिवार एवं समर्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रत्येक बुधवार को 75000 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा।		
5	15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के कार्य पूर्ण किया जाएगा।		
6	65 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कार्य पूर्ण किया जाएगा।		

7	175 उपस्थान्य केन्द्र के कार्य पूर्ण किया जाएगा।	
8	8 जिला औषधि भण्डार के कार्य पूर्ण किया जाएगा।	
9	2 इन्टीग्रेटेड पब्लिक हैल्थ लेब (आईपीएचएल) के कार्य पूर्ण किया जाएगा।	
10	15 ब्लॉक पब्लिक हैल्थ सूनिट (बीपीएचयू) के कार्य पूर्ण किया जाएगा।	
11	4 ट्रोमा सेन्टर के कार्य पूर्ण किया जाएगा।	
12	08 जन जातीय जिलों के 0-40 आयु वर्ग के 1.5 लाख जनजातीय नागरिकों की सिक्कल सैल एनीमिया स्क्रीनिंग प्रारम्भ कर सिक्कल सैल जेनोटिक कार्डंसलिंग आईडेन्टिफिकेशन कार्ड वितरित किये जाएंगे।	
13	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों, आंगनबाड़ियों एवं मदरसों में लगभग 15 हजार स्क्रीनिंग सत्रों का आयोजन किया जाएगा।	
14	समस्त क्रियाशील स्वास्थ्य कल्याण केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) का नाम परिवर्तन कर 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' अंकित किये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा एवं सभी केन्द्रों पर वेलनेस गतिविधियां प्रारम्भ की जाएगी।	

15	गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत 100 राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों का राज्य स्तरीय / राष्ट्रीय स्तरीय प्रमाणीकरण करवाया जाएगा।	
16	50 नवीन शहरी स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र (यूएचडब्ल्यूसी) प्रारम्भ किये जाएंगे।	
17	50 नये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र खोले जाएंगे।	
18	राज्य के खाद्य करोबारियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ खाद्य पदार्थ के निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय से संबंधित अैजं, ख्यवक मिजल ज्ञापदपद्धति का अतजपिबंजपवद्ध 300 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाएंगे।	
19	राज्य के आमजन को स्वस्थ एवं स्वच्छ खाद्य पदार्थ हेतु जागरूक करने, श्रीअन्न (मोटा आनाज-डपससमजे) की उपयोगिता हेतु जागरूक करने, चाल खाद्य प्रयोगशाला, डृजरस्ट के माध्यम से खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच करवाने एवं खाद्य कारोबारकर्ताओं को मौके पर 300 खाद्य अनुज्ञा पत्र /रजिस्ट्रेशन लिंगिर आयोजित किये जाएंगे।	
20	50 नये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र खोले जाएंगे।	
	राज्य में खाद्य पदार्थ बेचने एवं खाने के विभिन्न स्थानों यथा 150 सरकारी विद्यालयों को मंज त्यहीज बीवरसए 50 स्थानों को मंज त्यहीज बेचनेए 10 धार्मिक स्थानों को मंज त्यहीज क्षमता बीवरोपयर 10 रेल्वे स्टेशन एवं बस स्टेप्ट को मंज त्यहीज जंजपवद के रूप में 40 मानकों पर मंज त्यहीज प्दपजपंजपअम के अन्तर्गत प्रमाणित करवाया	

	जाएगा।	
21	1 कर्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के पात्र सदस्यों की ईकोवाइर्सी का कार्य कर कार्ड डिजाइन फाइनल होते ही कार्ड प्रिंटिंग एवं वितरण का कार्य भी किया जाएगा।	
22	बारं जिले के सहरिया जनजाति के परिवारों का सर्वे कर ईकोवाइर्सी का कार्य पूर्ण करके द्वारा जपनसंतासल टनसदमताइसम ज्ञपइस छतवनवे में 75000 चयनित व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा।	
23	164 वैटिलेटर (बेसिक एवं ऐडवांस) की आपूर्ति विभिन्न जिला अस्पताल/उपजिला अस्पताल पर की जाएगी।	
24	350 डायलिसिस मशीन एवं 175 आर.ओ. सिस्टम की आपूर्ति 175 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर की जाएगी।	
25	492 हाई फ्लो नैजल केन्द्रों मशीन की आपूर्ति विभिन्न जिला अस्पताल/उपजिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर की जाएगी।	
26	विभिन्न जिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लगभग 13000 नवीन फोम मैट्रेस की सप्लाई की जाएगी।	
27	500 एक्जामिनेशन लाइट्स की आपूर्ति विभिन्न जिला अस्पताल/उपजिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर की जाएगी।	
28	2100 रेडियट वार्मर की आपूर्ति विभिन्न जिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर की जाएगी।	

29	लिकिवड विभिन्न अस्पताल पर की जाएगी।	मेडिकल मेडिकल कॉलेज अस्पताल/जिला	ऑक्सीजन की आपूर्ति मेडिकल कॉलेज अस्पताल/जिला	43
30	13 सोनोग्राफी मशीनों की आपूर्ति विभिन्न 13 जिला अस्पतालों पर की जाएगी।			
31	02-02 कार्डियो आपूर्ति आरबीएम जिला अस्पताल भरतपुर, गांगनार, हनुमनगढ़, झुझनू अस्पताल बीकानेर एवं 01 जयपुर-1 (कुल मात्रा 11) पर की जाएगी।	मेडिकल मेडिकल कॉलेज अस्पताल कॉलेज भरतपुर, गांगनार, हनुमनगढ़, झुझनू अस्पताल बीकानेर एवं 01 जयपुर-1 (कुल मात्रा 11) पर की जाएगी।	सोनोग्राफी मशीनों की आपूर्ति विभिन्न 13 जिला अस्पतालों पर की जाएगी।	
32	06 कॉन्टेक्ट ब्लास्ट फीजर की आपूर्ति भीलवाड़ा, चूरू, उदयपुर, सीकर, अलवर एवं धौलपुर के जिला अस्पतालों में स्थित ब्लड बैंकों पर की जाएगी।			
33	57000 पल्स ऑक्सीमीटर (फिंगर डिप) की आपूर्ति विभिन्न सामुदायिक स्थान्य केन्द्रों/प्राथमिक स्थान्य केन्द्रों/केन्द्रीय भंडार गृह पर की जाएगी।			
31	02-02 कार्डियो टोकोग्राफी (सीटीजी) मशीनों की आपूर्ति आरबीएम जिला अस्पताल भरतपुर, गांगनार, हनुमनगढ़, झुझनू अस्पताल बीकानेर एवं 01 जयपुर-1 (कुल मात्रा 11) पर की जाएगी।	मेडिकल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भरतपुर, गांगनार, हनुमनगढ़, झुझनू अस्पताल बीकानेर एवं 01 जयपुर-1 (कुल मात्रा 11) पर की जाएगी।	टोकोग्राफी (सीटीजी) मशीनों की आपूर्ति आरबीएम जिला अस्पताल भरतपुर, गांगनार, हनुमनगढ़, झुझनू अस्पताल बीकानेर एवं 01 जयपुर-1 (कुल मात्रा 11) पर की जाएगी।	